REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224981 CG-DL-E-05022021-224981

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] No. 58] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

उपभोक्ता मामले विभाग

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

फा. सं. बीएस/11/11/2021.—ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

 भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' कहा जाएगा), विनियम 8 के, उप-विनियम (4) में, "विधिमान्यता की तारीख" शब्द के बाद "या अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट लागू स्कीम में यथा-उपबंधित" शब्द जोड़ा जायेगा। 3. उक्त विनियम में, अनुसूची-II के, स्कीम -I में, पैरा 9 में, उप-पैरा 5 के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) यदि एक विनिर्माता लाइसेंस-धारक का लाइसेंस नवीकरण हेतु नियत है, और वह मानक मुहरांकित उत्पादों की मांग में कमी से उत्पन्न वित्तीय समस्याओ के कारण लाइसेंस के प्रचालन में सक्षम न होने के कारण लाइसेंस के नवीकरण की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व लाइसेंस के आस्थगन, जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि का न हो, का अनुरोध करता है तो उसे आवेदन की अनुमति दी जा सकती है तथा नवीकरण हेतु उस लाइसेंस के देय होने की तारीख से, जिसकी अवधिक एक वर्ष से अधिक न हो, के लिए लाइसेंस की समाप्ति को स्थगन में रखा जा सकता है, जब कि वह वचनपत्र दें कि इस अवधि के दौरान निर्मित उत्पादों पर मानक मुहर का प्रयोग नही करेगा और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का 10% या सात हजार रूपये (जो भी अधिक हो) औचक्क निगरानी लागत के रूप में जमा करेगा। ऐसे लाइसेंसों को "निष्क्रिय" लाइसेंसों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(7) लाइसेंस-धारक, जिसके लाइसेंस की समाप्ति को स्थगन में रखा गया है, निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी समय लाइसेंस के नवीकरण हेतु, नवीकरण की निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसारण पर आवेदन कर सकता है, और इसकी अनुमति दी जायेगी तथा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क की 10% राशि या सात हजार रुपये (जो भी अधिक हो) को अपेक्षित शुल्क में समायोजित कर दिया जायेगा। यदि विनिर्दिष्ट अवधि में नवीकरण हेतु आवेदन करने से लाइसेंस धारक चूकता है तो विनिर्दिष्ट अवधि की अंतिम तिथि से लाइसेंस समाप्त हो जायेगा।

4. उक्त विनियम में, अनुसूची-II के, स्कीम-I में, पैरा 5 के उप-पैरा (3) में टिप्पण 2 के बाद, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"टिप्पण 3: विनिर्माता के प्रत्येक पश्चात्वर्ती अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क में 10% की छूट लागू होगी जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए रूपये सैंतीस हजार और बड़े स्तर की इकाइयों हेतु रूपये छियालीस हजार का न्यूनतम शुल्क लागू होगा तथा उच्चतम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क वाले लाइसेंस को पहला लाइसेंस माना जाएगा।"

ले. कर्नल. (सेवानिवृत्त) कुमार शांतनु, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./491/2020-21]

टिप्पण : मूल अधिसूचना एफ़.सं. बीएस/11/11/2018 तारीख 04 जून 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् अधिसूचना फा. सं. बीएस/11/11/2018 तारीख 12 अक्तूबर 2018; फा.सं. बीएस/11/11/2020 तारीख 21 फरवरी 2020 और फा. सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 04 फरवरी 2021 द्वारा संशोधन किया गया।

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2021

F. No. BS/11/11/2021.—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Second Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 (herein after referred to as said regulations), in regulation 8, in sub-regulation (4), after the words "the date of its validity", the words "or as provided in the applicable Scheme specified in Schedule - II" shall be inserted.

3. In the said regulations, in Schedule-II, in Scheme-I, in paragraph 9, after sub-paragraph (5), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

"(6) If a manufacturer holding a licence, which is due for renewal, submits an application at least a month before the date on which the renewal of the license becomes due, requesting for the expiry of his license to be kept in deferment for a period not exceeding a year from that date, for his inability to operate the license because of financial problems arising out of lack of demand for the Standard Marked products, the request may be allowed, and the expiry of the license should be kept in deferment for a specified period not exceeding one year from the date on which it became due for renewal, subject to an undertaking that he must not use Standard Mark on the product manufactured during this period and deposit ten per cent of the minimum marking fee or rupees seven thousand (whichever is higher) as the cost of surprise surveillance. Such licenses shall be categorized as "Dormant" Licenses.

(7) The license-holder, the expiry of whose license has been kept in deferment, can apply for the renewal of the license any time within the specified period, following the terms and conditions for renewal, and the same shall be allowed, and the amount of ten per cent of the minimum marking fee or rupees seven thousand (whichever is higher) be adjusted against the requisite fee. If the licence-holder fails to apply for renewal within the specified period, the license shall stand expired from the last date of the specified period."

4. In the said regulations, in Schedule-II, in Scheme-I, in paragraph 5 in sub-paragraph (3), after Note 2, the following note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For each subsequent license held by a manufacturer, a discount of ten percent in minimum marking fee shall be applicable subject to minimum fees being rupees thirty seven thousand for micro, small and medium enterprises and rupees fourty six thousand for large scale units and the licence with highest minimum marking fee shall be considered as the first licence."

Lt. Col. (Retd.) KUMAR SHANTANU, Secy.

[ADAVT.-III/4/Exty./491/2020-21]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* F.No. BS/11/11/2018 dated the 4th June, 2018 and subsequently amended *vide* F. No. BS/11/04/2018 dated the 12th October, 2018, F. No. BS/11/11/2020 dated the 21st February, 2020 and F. No. BS/11/11/2021 dated the 4th February 2021.